सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः <u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–179/2023 (राजेन्द्र त्यागी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन में मुख्य नगर नियोजक/नोडल अधिकारी टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के पत्रांक 156/TTZ(PMU)/OA_179/23/2023 दिनांक 06.06.2023 के क्रम में जाँच समिति द्वारा प्रस्तावित संयुक्त निरीक्षण के समय साक्ष्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी को मुख्य नगर नियोजक(प्र0)/नोडल अधिकारी टी0टी0जैड0प्रा0 आगरा के पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आगरा, आगरा विकास प्राधिकरण एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की मिलीभगत से त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा में अवैध फैक्ट्रियों के संचालन किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी विगत् कई माह से शिकायत कर रहा था, लेकिन शिकायतों को प्रार्थी के पक्ष को न सुनकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अनदेखा कर प्रार्थी को ही उल्टा फर्जी मुकद्मों में जेल भेजने की धमकी दी गई एवं प्रार्थी को अवैध फैक्ट्रियों की शिकायत करने से रोका गया था परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने परिवारीजनों के स्वास्थ्य एवं जान–माल की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होने पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक अपने उत्पीड़न की बात रखी परन्तु भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी एवं अवैध फैक्ट्रियों का संचालन करने वाले गुण्डा तत्वों के गठजोड़ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। परन्तु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रार्थी की शिकायत का संज्ञान लिए जाने पर एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन में जाँच समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.06.2023 को प्रस्तावित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी जाँच समिति को आपके माध्यम से

स्थलीय निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आगरा, आगरा विकास प्राधिकरण एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध फैक्ट्रियों के संचालन के साक्ष्य, अभिकथन एवं निरीक्षण की सूचना लीक करने पर अवैध फैक्ट्रियों के अन्य स्थान पर शिफ्टिंग कर संचालन के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो निम्नवत् हैं–

1. यह कि प्रार्थी एवं उसके परिवारीजनों द्वारा दिनांक 17.09.2022 से पूर्व अवैध फैक्ट्री के रिहायशी इलाके में संचालन करने एवं प्रदूषण फैलाने की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत करने के बाद प्रार्थी के परिवारीजनों से दबाव बनाकर शपथ–पत्र लेकर मामले को रफा–दफा कर दिया एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा द्वारा मनमाने तरीके से अवैध फैक्ट्रियों का संचालन जोर–शोर से जारी रहा।

2. यह कि प्रार्थी एवं उसके परिवारीजनों के सुखपूर्वक जीवन में अवैध फैक्ट्री के संचालन से जब ध्वनि प्रदषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के माध्यम से मानसिक तनाव एवं बीमारियाँ फैलने लगीं एवं परिवारीजन परेशान रहने लगे तब प्रार्थी द्वारा विभागीय उच्चाधिकारियों, प्रशासन के उच्चाधिकारियों, राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों, केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों सहित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के यहाँ दिनांक 17.09.2022 को स्पीड पोस्ट डाक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। **(शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2022 की छायाप्रति संलग्न है)**

3. यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा के क्षेत्रीय अधिकारी–डॉ0 विश्वनाथ शर्मा ने दिनांक 17.09.2022 को ही महाप्रबन्धक, मै0 टोरेन्ट पावर लि0, 6 रघुनाथ नगर, एम0जी0 रोड, आगरा को निरीक्षण कर आख्या पत्रांक सं0 651/04–27/2022 दिनांक 17.09.2022 उपलब्ध कराई गई, जिसमें उल्लिखित किया गया कि–**"उक्त के क्रम में शिकायती स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकारियों के द्वारा दि0 13.09.2022**

को किया गया है। निरीक्षण के समय शिकायतीय स्थल पर श्री अमरीश त्यागी एवं इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री विवेक अग्रवाल उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में लगभग 10–15 ऐसी ही इकाईयाँ संचालित हैं। निरीक्षण आख्यानुसार शिकायती स्थल पर मै0 तिरुपति वायर एण्ड चैन्स 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा पर इकाई संचालित की जा रही है तथा आस–पास के क्षेत्र में भी अन्य ऐसी इकाईयाँ संचालित हैं। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) में जिंक स्क्रैप्स की मेल्टिंग कर कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग का कार्य किया जाता पाया गया। इकाई में 01 नग भट्टी स्थापित है। जिसमें ईंधन के रूप में एल0पी0जी0 का प्रयोग किया जाता है। इकाई में भट्टी के संचालन से तथा कास्टिंग प्रक्रिया से धुआं निकलना स्वाभाविक है, जो कि आस–पास के क्षेत्र में फैलता है, शिकायती स्थल पर इकाई के संचालन हेतु मै0 टोरेन्ट पावर लि0 द्वारा एल0एम0वी0 6, विद्युत कनेक्शन निर्गत है। उक्त इकाई टी0टी0जैड0 क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में स्थापित है। उक्त इकाई के संचालन से आस–पास के निवासियों को न्यूसेंस होना स्वाभाविक है। फेरस एवं नॉन–फेरस मैटल की मेल्टिंग एवं कास्टिंग को केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की विभाजन श्रेणी में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त इकाई को इस कार्यालय द्वारा स्थापनार्थ/संचालनार्थ कोई अनुमति प्रदान निर्गत नहीं की गई है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 320/1994 में दिनांक 20.01.1997 को विद्युत विभाग को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से बिना अनुमति प्राप्त किए स्थापित उद्योगों को विद्युत कनैक्शन प्रदान न किए

जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

"The State Electricity Board should also be asked to ensure that permission for electricity connection/augmentation be not given to the industries without NOC from the State Pollution Control Board."

अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्रांक–70/7/मु0अभि0(वा एवं ऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक 02.11.2020 (संलग्न) के द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 को निम्न निर्देश जारी किए गए हैं–

1. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन निर्गत न किया जाये।
2. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त स्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थाई संयोजन निर्गत न किया जाए।

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.1997 के आलोक में एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में उक्त इकाई का विद्युत विच्छेदन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।" (निरीक्षण आख्या दिनांक 17.09.2022 की छायाप्रति संलग्न है)। जिससे स्पष्ट है कि त्यागी नगर में रिहायशी इलाके में कई अवैध फैक्ट्रियाँ संचालित हैं, इन फैक्ट्रियों द्वारा वायु प्रदूषण फैलाने वाली 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) पाई गई जिससे जिंक, स्क्रैप्स की मेल्टिंग कर कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग का कार्य किया जाता पाया गया। लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवैध फैक्ट्रियों के

विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही अवैध फैक्ट्रियों के विद्युत संयोजन को विच्छेदित किया गया और लेन–देन कर शिकायत को रफा–दफा कर अवैध फैक्ट्रियों का संचालन निरन्तर जारी रहा, जिससे बोर्ड का इन अवैध फैक्ट्रियों के साथ सांठ–गांठ होना सिद्ध होता है। मौके पर प्रार्थी के भाई अमरीश त्यागी ने वायु प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री के बारे में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे परन्तु निरीक्षण आख्या में प्रार्थी के पक्ष को नहीं सुना गया और न ही अंकित किया गया।

4. यह कि आगरा विकास प्राधिकरण के पत्रांक 2881डी/प्रा0नि0/22–23 दिनांक 14.10.2022 प्रभारी प्रवर्तन, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा प्रार्थी को पत्र जारी कर बताया कि **"क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। अवगत कराना है कि शिकायती पत्र में उल्लिखित भवन के भूतल में ताला लगा पाया गया। आस–पास अध्यासित लोगों द्वारा बताया गया कि स्थल पर फैक्ट्री संचालन बन्द है।" (आख्या दिनांक 14.10.2022 की छायाप्रति संलग्न है)।**

परन्तु वास्तविकता में मौके पर फैक्ट्री संचालित हो रही थी लेकिन कोई कार्यवाही न कर केवल पत्र जारी कर आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा त्यागी नगर की अवैध फैक्ट्रियों को केवल कागजों में ही बन्द दिखा दिया गया, जबकि वे मौके पर संचालित थीं। जिससे सिद्ध होता है कि अवैध फैक्ट्रियों के मालिकों से आवास विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी मिले हुए हैं जो इन अवैध फैक्ट्रियों के मालिकों से महीनेदारी वसूल कर रिहायशी इलाके में अवैध फैक्ट्रियों का संचालन करा रहे हैं।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा अवैध फैक्ट्रियों के संचालन की पुनः मा0 मुख्यमन्त्री जी के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर शिकायत सं0 50014622001111 दर्ज कराई, जिसके बाद प्रभारी प्रवर्तन, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा

अपनी आख्या दिनांक 11.11.2022 के माध्यम से प्रार्थी को बताया कि **"आपके द्वारा सेवला जाट आगरा में अवैध फैक्ट्री के संचालन की शिकायत की गई है। अवगत कराना है कि श्री संजय कुशवाह एवं श्री हिमांशु कुशवाह द्वारा अग्रवाल गली, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा श्री श्याम जी इण्टरप्राइजेज नाम से संचालित की जा रही तांबे के तार की फैक्ट्री बन्द की जा चुकी है। श्री विवेक अग्रवाल द्वारा भवन सं0 279 त्यागी नगर सेवला जाट में तिरुपति वायर एण्ड चैन नाम से संचालित की जा रही तथा श्री विजेन्द्र सिंह एवं श्री संजय ठाकुर द्वारा भवन सं0–182 गली तोता नगर, त्यागी नगर, सेवला जाट में तांबे के तार एवं वायर की संचालित की जा रही फैक्ट्रियों के विरुद्ध भू–उपयोग के विपरीत फैक्ट्री संचालित किए जाने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद योजित किया गया है। कृपया उपरोक्तानुसार सादर से अवगत होने का कष्ट करें।" (आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव की आख्या दिनांक 11.11.2022 संलग्न है)**

परन्तु मौके पर उपरोक्त उल्लिखित अवैध फैक्ट्रियाँ निरन्तर संचालित रही हैं, कुछ फैक्ट्रियों का संचालन रिहायशी इलाकों में आज भी बदस्तूर हो रहा है जिनके फोटोग्राफ प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जिससे स्पष्ट है कि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के अधिकारी/कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध फैक्ट्रियाँ लगातार संचालित हैं।

6. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा–डॉ0 विश्वनाथ शर्मा द्वारा अपने पत्रांक–1185/04–27/2022 दि0 22.11.2022 में उल्लेख किया कि **"उक्त शिकायती प्रकरण पर पुनः स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय शिकायतीय स्थल पर**

इकाई मैसर्स तिरुपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर सेवला जाट आगरा के प्रतिनिधि के रूप में श्री सूरज सिंह जादौन पुत्र श्री दिनेश सिंह जादौन (मुंशी उपस्थित थे)। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में स्थापित एक नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) में जिंक, स्क्रैप्स की मैल्टिंग कर, कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग मशीन को हटा दिया गया है, वर्तमान में इकाई में बाहर कोर रॉड खरीदकर मात्र तार खींचने का कार्य कोल्ड प्रोसेस से किया जाता है। निरीक्षण के समय 05 नग डिफेन्सर, 01 नग रोल मशीन स्थापित पाई गई। अवगत कराना है कि **Metal wire drawing, wiremesh conduit pipe (cold process only)** प्रक्रिया को उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार क्रम सं0–96 पर सफेद श्रेणी पर अंकित है। जिसे राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने से अवमुक्त रखा गया है। स्थल के पूरब दिशा में खाली प्लॉट, पश्चिम दिशा में खाली प्लॉट, उत्तर दिशा में मकान एवं दक्षिण दिशा में सड़क व खाली प्लॉट पाया गया। इकाई में समस्त कार्य बेसमेन्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर में किया जाता है। जल आपूर्ति हेतु 01 एच0पी0 क्षमता का समरसेविल स्थापित है। जल का प्रयोग घरेलू प्रक्रिया मे किया जाता है। जिसके शोधन हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। उक्त इकाई टी0टी0जैड0 क्षेत्र के अन्तर्गत है। इकाई द्वारा वर्तमान में वायु प्रदूषण के श्रोतों को परिसर से हटा लिया गया है। इकाई में विद्युत आपूर्ति टोरेंट पावर लि0 आगरा द्वारा एल0एम0पी0–06 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। इकाई मै0 तिरुपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के प्रोपराइटर श्री विवेक अग्रवाल द्वारा वायु प्रदूषणकारी प्रक्रिया न किए जाने का शपथ पत्र दिनांक 31.10.2022 प्रेषित किया गया है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए शिकायती प्रकरण को निस्तारित किए जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ

संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।"

परन्तु क्षेत्रीय अधिकारी–डॉ0 विश्वनाथ शर्मा के पूर्व पत्र दिनांक 17.09.2022 द्वारा जिंक स्क्रैप्स, मेल्टिंग कास्टिंग के कार्य से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूष, जल प्रदूषण एवं न्यूसेंस का होना पाया गया था। लेकिन उपरोक्त दिनांक 22.11.2022 के पत्र में क्षेत्रीय अधिकारी–डॉ0 विश्वनाथ शर्मा ने अवैध फैक्ट्री को क्लीन चिट दे दी गई एवं इकाई मैसर्स तिरुपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के प्रोपराइटर श्री विवेक अग्रवाल द्वारा मात्र शपथ–पत्र दिनांक 31.10.2022 का प्रेषित करने पर वायु प्रदूषणकारी प्रक्रिया न किए जाने के आधार पर ही अवैध फैक्ट्री का लगातार संचालन किया गया एवं अपने उच्चाधिकारियों को गुमराह करते हुए टी0टी0जैड0 एरिया में प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों का अवैध संचालन डॉ0 विश्वनार्थ शर्मा द्वारा कराए जाने का सबसे बड़ा साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत है। मौके पर प्रार्थी के भाई अमरीश त्यागी ने वायु प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री के बारे में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे परन्तु निरीक्षण आख्या में प्रार्थी के पक्ष को नहीं सुना गया और न ही अंकित किया गया।

7. यह कि अवैध फैक्ट्री के संचालक विवेक अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल नि0 खेरिया मोड़, आगरा द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ–पत्र दिनांक 31.10.2022 **(छायाप्रति संलग्न है)** को ही आधार मानकर डॉ0 विश्वनाथ शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अपनी प्रथम निरीक्षण आख्या दिनांक 17.09.2022 को निरस्त मानकर अपनी दूसरी निरीक्षण आख्या दिनांक 22.12.2022 के आधार पर अवैध फैक्ट्री के संचालन को सही मानकर प्रदूषण फैलाने के लिए खुली छूट दे दी गई। इससे स्पष्ट है कि अवैध फैक्ट्रियों का संचालन क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 विश्वनाथ शर्मा की देख–रेख में फल–फूल रहा है।

8. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 विश्वनाथ शर्मा द्वारा अपने पत्रांक 1263/ओजी–27/2022 दिनांक 22.12.2022 **(छायाप्रति संलग्न है)** में अंकित किया है कि **"शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मै0 तिरुपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा रिहायशी क्षेत्र में संचालित इकाई से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में की गई शिकायत कार्यालय में दिनांक 14.08.2022 को प्राप्त है। शिकायती स्थल का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 13.09.2022 को किया गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्रांक सं0–651/ओजी–627/2022 दिनांक 17.09.2022 द्वारा मै0 टोरेन्ट पावर कॉर्पोरेशन लि0 को विद्युत विच्छेदन किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया (छायाप्रति संलग्न)। इकाई प्रतिनिधि श्री विवेक अग्रवाल द्वारा वायु प्रदूषणकारी प्रक्रिया न किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र दिनांक 31.10.2022, अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) के पृष्ठांकन संख्या–682/एसीएम–4 दिनांक 03.11.2022 कार्यालय में अप्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)। तत्क्रम में शिकायती स्थल का पुनः निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 22.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई में वायु प्रदूषणकारी स्त्रोत स्थापित नहीं पाया गया (छायाप्रति संलग्न)। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा दिनांक 06.12.2022 को इकाई में वायु प्रदूषणकारी कार्य किए जाने के सम्बन्ध में पुनः शिकायत की गई है। उक्त के क्रम में शिकायती स्थल का संयुक्त निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं मै0 टोरेन्ट पावर कॉर्पोरेशन लि0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री विवेक अग्रवाल एवं शिकायतकर्ता के भाई श्री अमरीश त्यागी उपस्थित थे। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में स्थापित 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) तथा हॉट वायर ड्राइंग मशीन को हटा दिया गया है। वर्तमान में इकाई में समस्त कार्य बेसमेन्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर में बाहर से**

कॉर रॉड खरीद कर मात्र तार खींचने का कार्य कोल्ड प्रासेस से किया जाता है। निरीक्षण के समय 06 नग डिफेन्शर, 01 नग रोल मशीन स्थापित पाई गई। निरीक्षण के समय वायु प्रदूषणकार स्त्रोत भट्ठी (कुठाली) स्थापित नहीं पाई गई। अवगत कराना है कि **Metal wire drawing, wire mesh conduit pipe (cold process only)** प्रक्रिया को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार सफेद श्रेणी में आच्छादित है। जिसे राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने से अवमुक्त रखा गया है। इकाई आगरा विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत रिहायशी क्षेत्र वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट में स्थापित है। जिसमें मै0 टोरेंट पावर लि0 द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु एल0एम0वी0–06 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। उक्त इकाई टी0टी0जैड0 क्षेत्रांतर्गत स्थित है। अवगत कराना है कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनाक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणें/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरुद्ध किए जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाए जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा की गई कृत कार्यवाही से इस

कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या–50014622000972, 73146220002115 का निस्तारण किया जा सके।"

महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि डॉ0 विश्वनाथ शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपनी प्रथम आख्या दिनांक 17.09.2022 में यह माना गया था कि अवैध फैक्ट्री संचालित है जो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं न्यूसेंस उत्पन्न कर रही है, इकाई संचालक द्वारा किसी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। लिहाजा अवैध कनैक्शन विच्छेदन हेतु मैसर्स टोरेंट पावर को निर्देशित किया गया था। वहीं दूसरी आख्या पत्रांक–1185/04–27 दिनांक 22.11.2022 में उल्लेखित किया गया कि–'इकाई द्वारा वर्तमान में वायु प्रदूषण के स्त्रोतों को परिसर से हटा लिया गया है एवं इकाई संचालक विवेक अग्रवाल से शपथ–पत्र दिनांक 31.10.2022 प्राप्त कर वायु प्रदूषण भविष्य में न करने का वादा भी प्राप्त कर लिया है' और अपनी प्रथम आख्या दिनांक 17.09.2022 को स्वमेव ही निरस्त कर दिया गया है परन्तु अपनी तृतीय आख्या पत्रांक–1263/ओजी–27/2022 दिनांक 22.12.2022 में अंकित किया गया कि 'वायु प्रदूषण फैलाने वाले 01 नग भट्टी एवं हॉट वायर ड्राइंग मशीन को हटा दिया है और वर्तमान में निरीक्षण के समय वायु प्रदूषण का स्त्रोत भट्टी (कुठाली) स्थापित नहीं पाई गई।' इस प्रकार क्षेत्रीय अधिकारी–डॉ0 विश्वनाथ शर्मा की तीनों ही आख्याएँ आपस में विरोधाभासी हैं जो अवैध फैक्ट्रियों से महीनेदारी वसूलकर उनका संचालन अपने संरक्षण में करा रहे हैं। वहीं आगरा विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक 14.10.2022 द्वारा यह बताया गया है कि 'निरीक्षण के समय कोई अवैध फैक्ट्री संचालित नहीं पाई गई' जबकि आगरा विकास प्राधिकरण की दूसरी आख्या दिनांक 11.11.2022 द्वारा

'करीब 04 अवैध फैक्ट्रियों का संचालन पाया गया'। क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 विश्वनाथ शर्मा की आख्या दिनांक 17.09.2022 में अंकित है कि 'त्यागी नगर में करीब 10 से 15 अवैध फैक्ट्रियाँ संचालित हैं, की जानकारी क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आगरा, आगरा विकास प्राधिकरण एवं प्रशासनिक विभाग के कर्मचारियों को भली–भांति थी परन्तु अवैध फैक्ट्रियों के संचालन पर रोक न लगाकर उनसे शपथ–पत्र प्राप्त कर संचालन में सहयोग करना विभागीय उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने वाली, वास्तविक तथ्यों से परे गलत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने के दोषी रहे हैं, भ्रष्टाचार के बलबूते प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियों का रिहायशी इलाकों में लगातार संचालन अपने संरक्षण में कराया जाता रहा है। मौके पर प्रार्थी के भाई अमरीश त्यागी ने वायु प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री के बारे में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे परन्तु निरीक्षण आख्या में प्रार्थी के पक्ष को नहीं सुना गया और न ही अंकित किया गया। इसलिए दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक, विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

9. यह कि टी0टी0जैड के अन्तर्गत त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा में अवैध फैक्ट्रियों के संचालन की शिकायत प्रार्थी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ उ0प्र0 एवं माननीय मुख्यमन्त्री उ0प्र0 शासन लखनऊ को साक्ष्य सहित दर्ज कराई जिसमें दिनांक 12.12.2022 को श्री बद्रीनाथ सिंह, विशेष सचिव–राज्यपाल, राजभवन, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी आगरा को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। **(आदेश दिनांक 12.12.2022 की छायाप्रति संलग्न है)** वहीं दूसरी ओर श्री भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव–मुख्यमन्त्री, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 29.12.2022 को जिलाधिकारी आगरा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए थे। **(आदेश दिनांक 29.12.2022 की छायाप्रति संलग्न है)**

परन्तु उक्त आदेशों के बावजूद भी अवैध फैक्ट्रियों का संचालन त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा में लगातार जारी रहा एवं क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 विश्वनाथ शर्मा, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पत्रांक–1419/ओजी/2023 दिनांक 31.01.2023 **(छायाप्रति संलग्न है)** में उल्लिखित किया कि 'त्यागी नगर सेवला जाट में जो फैक्ट्रियाँ संचालित हैं, वे वायु प्रदूषकारी नहीं हैं परन्तु टी0टी0जैड के अन्तर्गत रिहायशी इलाके में संचालित हैं जो कि **"आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाए जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–सी0एस0–89(1)/9–अ–3–2003–62 रिट/2003 दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किए जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाए जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं"** के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 विश्वनाथ शर्मा द्वारा यह उल्लेख करते हुए कहा कि त्यागी नगर में फैक्ट्रियाँ वायु प्रदूषण नहीं फैला रही हैं परन्तु रिहायशी इलाके में संचालित हैं, इस प्रकार का पत्राचार उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा, अपर जिलाधिकारी नगर, ए0सी0एम0 चतुर्थ मैसर्स टोरेन्ट पावर लि0 आगरा से किया गया लेकिन मौके पर अवैध फैक्ट्रियों का संचालन निरन्तर जारी रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि त्यागी नगर सेवला जाट आगरा में चल रही अवैध फैक्ट्रियाँ जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं

न्यूसेंस उत्पन्न कर रही हैं, रिहायशी इलाके में संचालित हैं, इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने से स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि सब कुछ सांठ–गांठ व मिलीभगत से महीनेदारी पर किया जा रहा है।

10. यह कि प्रार्थी के द्वारा रिहायशी इलाके में संचालित प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियों की शिकायत करने के कारण फैक्ट्री मालिकों एवं फैक्ट्री के धन आदि से पलने वाले गुण्डा तत्व माफियाओं द्वारा धमकी देते हुए कहा कि तुमने बहुत शिकायत कर लीं लेकिन आज तक किसी भी फैक्ट्री को एक रात के लिए भी बन्द नहीं करा पाए, हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस प्रशासन में पहुँच है, यदि तुमने फैक्ट्रियों की शिकायत करना बन्द नहीं किया तो तुम्हारी हत्या कराकर लाश को ठिकाने लगा देंगे और तुम्हारे परिवारीजन किसी थाने में मुकद्मा भी दर्ज नहीं करा सकते, यदि तुम्हें अपना जीवन बचाना हो तो चुपचाप अपने घर बैठ जाओ और शिकायत करना बन्द कर दो। महोदय, प्रार्थी इस तरह की आए दिन मिलने वाली धमकियों से काफी भयभीत हो गया तब प्रार्थी द्वारा अपनी जान–माल की सुरक्षा के लिए अवैध फैक्ट्रियों के रिहायशी इलाके में संचालन करने पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 40287/2022 दाखिल की गई, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा गलत तथ्यों पर शपथ–पत्र प्रस्तुत कर मा0 उच्च न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर आख्याएँ प्रस्तुत की गईं और न्यायालय में यह कहा गया कि त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा की प्लॉट सं0 279 में संचालित फैक्ट्री वायु प्रदूषण नहीं करती है, कोल्ड प्रोसेस द्वारा वायर बनाने का कार्य किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत एवं असत्य है, के आधार पर रिट याचिका को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया गया था और प्रार्थी/याची को यह स्वतन्त्रता दी गई थी कि निर्धारित

फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। लेकिन मौके पर अवैध फैक्ट्री का संचालन निरन्तर जारी रहा।

11. यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–179/2023 राजेन्द्र त्यागी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दि0 28.04.2023 **(छायाप्रति संलग्न है)** के अनुपालन के आदेश पारित किए गए जो निम्नवत् उद्धृत है–

"….. 3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled enactment under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual action taken report, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising TTZA, MoEF&CC and District Magistrate, Agra who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. TTZA shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order.

5. List for further consideration on 18.07.2023.

के सम्बन्ध में उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जाँच समिति गठित की गई है, जिसका स्थल पर निरीक्षण दिनांक 16.06.2023 को किया जाना है, की सूचना अवैध फैक्ट्री संचालकों को हो गई तो कुछ समय तक फैक्ट्रियों पर कार्य करना बन्द कर दिया गया है, प्लॉट नं0 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा की फैक्ट्री में से भट्टियाँ आदि सामान निकालकर अन्य फैक्ट्रियों में शिफ्ट कर दिया गया है जिससे निरीक्षण के दौरान यह बताया जा सके कि मौके पर कोई फैक्ट्री संचालित नहीं है। जबकि त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा में आज भी कई फैक्ट्रियाँ रिहायशी इलाके में घर के अन्दर बन्द मकानों में संचालित हैं जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0

विश्वनाथ शर्मा की निरीक्षण आख्या दिनांक 17.09.2022 में 10–15 फैक्ट्रियों का संचालन पाया गया। आगरा विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक 11.11.2022 में कई फैक्ट्रियों का संचालन किए जाने पर सुसंगत धाराओं में वाद योजित किए जाने की बात रखी गई परन्तु एन0जी0टी0 की जाँच समिति के निरीक्षण से पहले तक कई फैक्ट्रियाँ संचालित रही हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ मकानों के अन्दर आज भी संचालित हैं, **जिनके फोटोग्राफ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं**। प्लॉट सं0 279 पर संचालित अवैध फैक्ट्री से कुछ दिन पूर्व ही सामान को ले जाते हुए की फोटो व वीडियो रिकॉर्डिंग प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराई जा रही है। प्लॉट सं0 279 की फैक्ट्री से भट्टियाँ व अन्य सामान अभी हटाया गया है। दैनिक समाचार पत्रों ने भी एन0जी0टी0 द्वारा अवैध फैक्ट्रियों का संज्ञान लिए जाने का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया और जब अवैध फैक्ट्रियों द्वारा सामान की शिफ्टिंग अन्यत्र स्थान पर की जा रही थी तो उक्त समाचार की विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में दिनांक 31.05.2023 एवं 01.06.2023 को प्रकाशित हुई **(छायाप्रति संलग्न है)।** अवैध फैक्ट्री संचालकों द्वारा सामान व भट्टियाँ आदि अन्यत्र जगह पर पहुँचा दी गई हैं जिन्हें गोपनीय रूप से जाँच करने पर पकड़ा भी जा सकता है, फैक्ट्री के सामान को अन्यत्र इसलिए शिफ्ट किया गया है जिससे मौके पर केवल खाली मकान मिले तकि जाँच समिति को गुमराह कर यह सिद्ध किया जा सके कि मौके पर कोई फैक्ट्री कभी संचालित नहीं रही है। टोरेन्ट पावर लि0 द्वारा जारी विद्युत मीटर कनैक्शन भी अभी कुछ दिन पूर्व ही हटाया गया है जबकि उक्त प्लॉट सं0 279 पर आवंटित विद्युत कनैक्शन का विद्युत बिल का भुगतान अभी हाल तक किया जाता रहा है, जो जाँच करने पर देखा जा सकता है।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–179/2023 (राजेन्द्र त्यागी बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन में आपके पत्रांक 156/TTZ(PMU)/OA_179/23/2023 दिनांक 06.06.2023 के क्रम में जाँच समिति द्वारा प्रस्तावित संयुक्त निरीक्षण के समय उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर त्यागी नगर, सेवला जाट की रिहायशी इलाके में संचालित अवैध फैक्ट्रियों का संचालन बन्द कर आम जन–मानस के जीवन से खिलवाड़ करने से रोकने का कष्ट करें, जिससे प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारीजन प्रदूषणजनित बीमारियों से बच सकें एवं सामान्य जीवन जी सकें। साथ ही त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा में रिहायशी इलाके में अवैध फैक्ट्रियों का संचालन करने वाले फैक्ट्री मालिक व सरंक्षण देने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक विभागीय कार्यवाही कर एफ0आई0आर0 दर्ज कर गिरफ्तार कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

राजेन्द्र त्यागी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

दिनांकः 15.06.2023

(राजेन्द्र त्यागी)
पुत्र श्री कालीचरन त्यागी
नि0 त्यागी नगर, सेवला जाट
आगरा
मो0 9412895153

82

3398/IA

सेवा में,

1. श्रीमान् मण्डलायुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
3. श्रीमान् अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय, आगरा।
4. श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, आगरा।

विषयः <u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र (टी0टी0जेड0) में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा की सांठ–गांठ से संचालित अवैध फैक्ट्री को बन्द कराए जाने एवं दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी राजेन्द त्यागी पुत्र श्री कालीचरन त्यागी निवासी–त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा का रहने वाला है एवं शान्तिपूर्वक अपने एवं अपने परिवारीजनों का भरण–पोषण कर रहा है। प्रार्थी के घर के सामने विवेक कुमार द्वारा रिहायशी क्षेत्र में बिजली की केबिल तार एल्युमिनियम एवं कॉपर के तारों को जलाकर एवं गलाकर चैन बनाकर सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। विवेक कुमार की इस अवैध फैक्ट्री में दिन–रात मशीनों, भट्टियों में बिजली चोरी कर, घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं कोयला से बड़ी–बड़ी भट्टियों में चोरी के केबिल, बिजली के तार आदि को जलाकर–गलाकर नए बिजली के तार चैन आदि का निर्माण किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा धुआं, प्रदूषण, गन्ध एवं कैमिकल के उपयोग से प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारीजनों सहित काफी लोगों को सांस लेने एवं शान्तिपूर्वक जीवनयापन करने में काफी परेशानी पैदा हो रही है। इस अवैध फैक्ट्री के धुएँ, प्रदूषण आदि से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और कई गम्भीर बीमारियाँ पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है। जिससे प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारीजनों का जीवन संकट में आ गया है। इस अवैध फैक्ट्री के संचालन के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारीजनों द्वारा पूर्व में

शिकायतें की गई थीं तो फैक्ट्री मालिक विवेक कुमार ने क्षेत्र के गुण्डा तत्वों, क्षेत्रीय पुलिस द्वारा दबाव बनाकर मामले को रफा-दफा कर दिया, प्रार्थी ने जब विश्वनाथ सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा से शिकायत एवं अपनी समस्या के सम्बन्ध में बात की तो उन्होंने अपने सहयोगी कर्मचारियों के माध्यम से शिकायत का फर्जी निस्तारण कर मामले को दबा दिया और प्रार्थी को धमकी देते हुए कहा कि यह फैक्ट्री हमारे द्वारा संचालित कराई जा रही है, यदि तुमने या तुम्हारे किसी परिवारीजन ने कोई शिकायत की तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में पुलिस से मिलकर जेल भिजवा दूंगा, यह फैक्ट्री जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से चलने दो ज्यादा नियम कानून की बात हमसे मत कीजिए।

महोदय, अवैध फैक्ट्री मालिक विवेक कुमार की गुण्डागर्दी, दबंगई एवं राजनैतिक पहुँच की वजह से क्षेत्रीय पुलिस और प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस अवैध फैक्ट्री द्वारा लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र (टी0टी0 जैड) में बिजली की चोरी, कोयला एवं प्लास्टिक आदि जलाकर बड़ी-बड़ी भट्टियों से दिन-रात करीब 14-15 कर्मचारियों द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिससे निरन्तर प्रदूषण फैल रहा है और आम जनमानस के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए जीवन को खतरा पैदा हो गया है। न्यायहित में इस अवैध फैक्ट्री का संचालन तत्काल बन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि इस अवैध फैक्ट्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं इससे सम्बन्धित वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। साक्ष्य के तौर पर प्रार्थी द्वारा अवैध फैक्ट्री के संचालन के फोटोग्राफ एवं दैनिक समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित खबरों की प्रतियाँ भी प्रार्थना पत्र के साथ

संलग्न की जा रही हैं। जाँच के समय प्रार्थी द्वारा उच्चाधिकारियों को अवैध फैक्ट्री के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का वीडियो एवं अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध कराए जाएंगें।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि ग्वालियर रोड, सेवला के रिहायशी इलाके त्यागी नगर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र (टी0टी0 जैड) में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण, बोर्ड, आगरा की सांठ–गांठ से संचालित तांबा, तार, प्लास्टिक आदि को जलाकर, गलाकर संचालित अवैध फैक्ट्री को बन्द कराए जाने एवं फैक्ट्री मालिक विवेक कुमार एवं इसके द्वारा पोषित गुण्डा तत्वों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे आम जन–मानस के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े एवं गम्भीर बीमारियों से बच सकें एवं शान्तिपूर्वक अपना जीवनयापन कर सकें।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

राजेन्द्र त्यागी

(राजेन्द्र त्यागी)
पुत्र श्री कालीचरन त्यागी
निवासी–त्यागी नगर,
सेवला जाट, आगरा
मो0 9412895153

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

दिनांकः 17.09.2022

15

e-mail: roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः– 651/05-27/2022 दिनांकः– 17 /09/2022

शिकायती प्रकरण

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
मै0 टोरण्ट पावर लि0,
6, रघुनाथ नगर, एम0जी0 रोड,
आगरा–282002

विषय– श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा पर तार का कारखाना अवैद्य रूप से संचालित किये जाने के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा पर अवैद्य रूप से तार का कारखाना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उक्त के कम शिकायती स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकारियों के द्वारा दिनांक 13.09.2022 को किया गया है। निरीक्षण के समय शिकायतीय स्थल पर श्री अमरीश त्यागी एवं इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री विवके अग्रवाल उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में लगभग 10–15 ऐसी ही इकाईयाँ संचालित है। निरीक्षण आख्यानुसार शिकायती स्थल पर मै0 तिरूपतिवायर एण्ड चैन्स 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा पर इकाई संचालित की जा रही है तथा आस–पास के क्षेत्र में भी अन्य ऐसी इकाईयाँ संचालित है। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) में जिंक स्कैप्स की मेल्टिंग कर, कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्रांइग का कार्य किया जाता पाया गया। इकाई में 01 नग भट्टी स्थापित है। जिसमें ईधन के रूप में एल0पी0जी0 का प्रयोग किया जाता है। इकाई में भट्टी के संचालन से तथा कास्टिंग प्रकिया से धुंआ निकलना स्वाभाविक है, जो कि आस–पास के क्षेत्र में फैलता है, शिकायती स्थल पर इकाई के संचालन हेतु मै0 टोरेन्ट पावर लि0 द्वारा एल0एम0वी0 6 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। उक्त इकाई टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में स्थापित है। उक्त इकाई के संचालन से आस–पास के निवासियों को न्यूसेंस होना स्वाभाविक है। फेरस एवं नॉन–फेरस मैटल की मेल्टिंग एवं कास्टिंग को केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की विभाजन श्रेणी में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त इकाई को इस कार्यालय द्वारा स्थापनार्थ/संचालनार्थ कोई अनुमति प्रदान निर्गत नहीं की गयी हैं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 320/1994 में दिनांक 20.01.1997 को विद्युत विभाग को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से विना अनुमति प्राप्त किये स्थापित उद्योगों को विद्युत कनेक्शन प्रदान न किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं–

"The State Electricity Board should also be asked to ensure that permission for electricity connection/augmentation be not given to the industries without NOC from the State Pollution Control Board"

अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्रांक–70/7/मु0अभि0(वा एवं ऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक 02.11.2020 (संलग्न) के द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 को निम्न निर्देश जारी किये गये हैं–

1. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन निर्गत न किया जायें।
2. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त स्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के विना स्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.1997 के अलोक में एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में उक्त इकाई का विद्युत विच्छेदन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि :–

1. अपर जिलाधिकारी (नगर) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित ए0सी0एम0 की अध्यक्षता के समिति गठित कर आवासीय क्षेत्र में संचालन के अवैद्य वायु प्रदूषणकारी इकाईयों के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश करने का कष्ट करें।
2. श्री राजेन्द्र त्यागी, वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

17/9/22
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

29 कार्यालय-प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक 2881 प्री/अ0नि0/22-23 दिनांक - 14/10

प्रेषक,

प्रभारी प्रवर्तन,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री राजेन्द्र त्यागी,
नि0 जिला–आगरा।

सन्दर्भ:- **I.G.R.S. संख्या–50014622000932 दिनांक 30.09.2022 के सन्दर्भ में।**

विषय:- सेवला जाट, आगरा में अवैध फैक्ट्री चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शिकायत मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण करने हेतु प्रारम्भ की गयी एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के तहत प्राप्त सन्दर्भ I.G.R.S. संख्या–50014622000932 दिनांक 30.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा सेवला जाट, आगरा में अवैध फैक्ट्री चलाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उक्त क्रम में क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। अवगत कराना है कि शिकायती पत्र में उल्लिखित भवन के भूतल में ताला लगा पाया गया। आस–पास अध्यासित लोगों द्वारा बताया गया कि स्थल पर फैक्ट्री संचालन बन्द है।

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रभारी प्रवर्तन

प्रतिलिपि :-

1. नोडल अधिकारी I.G.R.S. प्रकोष्ठ आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ।

प्रभारी प्रवर्तन

17

प्रेषक,

प्रभारी प्रवर्तन,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री राजेन्द्र त्यागी,
नि0–जिला–आगरा।

प्रा0–14/10/2022

सन्दर्भ:– **I.G.R.S. संख्या–50014622000932 दिनांक 30.09.2022 के सन्दर्भ में।**

विषय:– सेवला जाट, आगरा में अवैध फैक्ट्री चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शिकायत मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा जन सामान्य से प्राप्त होने वाली शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण करने हेतु प्रारम्भ की गयी एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली–(I.G.R.S.) के तहत् प्राप्त सन्दर्भ I.G.R.S. संख्या–50014622000932 दिनांक 30.09 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा सेवला जाट, आगरा में अवैध फैक्ट्री चलाये जाने के सम्बन्ध मे शिकायत की गयी है। उक्त के कम में क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। अवगत कराना है कि शिकायती पत्र में उल्लिखित भवन के भूतल में ताला लगा पाया गया। आस–पास अध्यासित लोगों द्वारा बताया गया कि स्थल पर फैक्ट्री का संचालन बन्द है।

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

/

प्रभारी प्रवर्तन

प्रतिलिपि :–

1. नोडल अधिकारी I.G.R.S. प्रकोष्ठ आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ।

संख्या....1140..../जन सुनवाई
दिनांक......../.../...4.../2022

14/10/2022
प्रभारी प्रवर्तन

उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण

कृ आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में एक बार पुनः आकस्मिक जाँच कर यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि फैक्ट्री का संचालन बंद है या नहीं। तदानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की आख्या आयुक्त महोदय के समक्ष 10 दिन में उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें

कार्यालय प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

दिनांक 11/11/2022

प्रेषक,

प्रभारी प्रवर्तन,
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

सेवा में,

श्री राजेन्द्र त्यागी,
नि0–जिला–आगरा।

सन्दर्भ– I.G.R.S. संख्या–50014622001111 दिनांक 05.11.2022 के सन्दर्भ में।

विषय:– सेवला जाट, आगरा में अवैध फैक्ट्री चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा जन सामान्य से प्राप्त होने वाली शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण करने हेतु प्रारम्भ की गयी एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली–(I.G.R.S.) के तहत प्राप्त सन्दर्भ I.G.R.S. संख्या–50014622001111 दिनांक 05.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा सेवला जाट, आगरा में अवैध फैक्ट्री चलाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है, अवगत कराना है कि श्री संजय कुशवाह एवं श्री हिमांशु कुशवाह द्वारा अग्रवाल गली त्यागी नगर, सेवला जाट में श्री श्यामजी इन्टरप्राइजेज नाम से संचालित की जा रही तांबे के तार की फैक्ट्री बन्द की जा चुकी है। श्री विवेक अग्रवाल द्वारा भवन संख्या–279 त्यागी नगर सेवला जाट में तिरूपति वायर एवं चेन नाम से संचालन की जा रही तथा श्री बिजेन्द्र सिंह एवं श्री संजय ठाकुर द्वारा भवन संख्या–182 गली तोता नगर त्यागी नगर, सेवला जाट में तांबे के तार एवं वायर की संचालित की जा रही फैक्ट्रीयों के विरूद्ध नियमों के विपरीत फैक्ट्री संचालित किये जाने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद योजित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार सादर से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

सचिव

प्रतिलिपि :– नोडल अधिकारी I.G.R.S. प्रकोष्ठ आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ।

सचिव

e-mail: roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः–1185/06-27/2022 दिनांकः–22/11/2022

सेवा में,

अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ,
आगरा।

विषय– श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा त्यागी नगर, आगरा पर तार का कारखाना अवैध रूप से संचालित किये जाने के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत कराना है कि उक्त शिकायती प्रकरण पर पुनः स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनाक 16.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय शिकायतीय स्थल पर इकाई मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के प्रतिनिधि के रूप में श्री सूरज सिंह जादौन पुत्र श्री दिनेश सिंह जादौन (मुंशी) उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायती स्थल पर पूर्व में स्थापित 01 नग भट्टी (28 न0 कोठाली) में जिंक स्क्रैप्स की मेल्टिंग कर, कास्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग मशीन को हटा दिया गया है। वर्तमान में इकाई में बाहर से कॉर रॉड खरीद कर मात्र तार खींचने का कार्य कोल्ड प्रोसेस से किया जाता है। निरीक्षण के समय 05 नग डिफेन्शर, 01 नग रोल मशीन स्थापित पायी गयी। अवगत कराना है कि Metal wire drawing, wiremesh conduit pipe (cold process only) प्रकिया को उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार क्रम सं0–96 पर सफेद श्रेणी पर अंकित है। जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से अवमुक्त रखा गया है। स्थल के पूरब दिशा में खाली प्लाट, पश्चिम दिशा में खाली प्लाट, उत्तर दिशा में मकान एवं दक्षिण दिशा में सड़क व खाली प्लाट पाया गया। इकाई में समस्त कार्य बेसमेन्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर में किया जाता है। जल आपूर्ति हेतु 01 एच0पी0 क्षमता का समरसेबिल स्थापित है। जल का प्रयोग घरेलू प्रकिया में किया जाता है। जिसके शोधन हेतु सेपिटक टैंक/सोकपिट स्थापित है। उक्त इकाई टी0टी0जेड0 क्षेत्र के अन्तर्गत है। इकाई द्वारा वर्तमान में वायु प्रदूषण के श्रोतों को परिसर से हटा लिया गया है। इकाई में विद्युत आपूर्ति टोरेंट पावर लि0, आगरा द्वारा एल0एम0वी0–06 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। इकाई मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के प्रोपराइटर श्री विवेक अग्रवाल द्वारा वायु प्रदूषणकारी प्रक्रिया न किये जाने का शपथ पत्र दिनाक 31.10.2022 प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शिकायती प्रकरण को निस्तारित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि :–

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

68AE 525883

समक्ष – श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
भवन संख्या 14 सै0 3बी आवास विकास कोलोनी सिकन्दरा योजना आगरा

शपथपत्र मिन जानिब विवेक अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी खेरिया मोड तहसील व जिला आगरा

मै शपथपूर्वक निम्न ब्यान करता हूँ–

1– यह कि मै उपरोक्त पते की स्थाई निवासी हूँ।

2– यह कि मेरे द्वारा त्यागी नगर सेवला जाट तहसील व जिला आगरा में पीतल के तार को पतला करने का कारखाना है जो मेटल वायर ड्रांइग में आता है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नही होता है जिसकी जॉच उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आगरा द्वारा की गई थी जहॉं पर मेरे तार को पतले करने के कारखाना में विभाग की टीम को कोई भी धुआ, लकडी, कोयला इत्यादि का कोई भी प्रदूषण मौके पर नही मिला ।

3– यह कि मेरे द्वारा उक्त स्थल पर तार को पतला करने का कारखाना मेटल वायर ड्रॉइंग संचालित किया जा रहा है मेटल वायर ड्रॉइंग कोल्ड प्रोसिस के द्वारा किया जाता है जो कि उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 09–01–2019 के अन्तर्गत गैर प्रदूषणकारी की श्रेणी के अन्तर्गत आता है । जो कि व्हाईट श्रेणी में क्रम संख्या 98 पर अंकित है।

Vivek

Scanned with CamScanner

4- यह कि मैं उक्त कारखाना में पीतल का तार मशीनों के द्वारा चालन करता हूँ और उक्त कार्य मेरे द्वारा पूर्ण विधि पूर्वक किया जाता है जिससे किसी प्रकार का कोई भी धुंए का प्रदूषण आदि नहीं होता है और मेरे कारखाने में किसी भी प्रकार की भट्ठी लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और सभी कार्य पूर्ण नियमानुसार किये जाते है ।

5- यह कि उक्त कारखाने की बाबत एक झूठी शिकायत राजेन्द्र त्यागी द्वारा की गई है जो कि गलत है और गलत इरादे से मुझे परेशान करने की नीयत से की गई है ।

6- यह कि मेरे कारखाने की जाँच किसी भी सक्षम अधिकारी से कराई जावे ताकि सत्यता का पता चले और शपथकर्ता के विरुद्ध जो गलत इरादे से शिकायत की जा रही है उसका निवारण हो सके । उक्त कारखाने से शपथकर्ता व उसके परिवार का जीवनयापन होता है और यही उसकी रोजी रोटी है।

7- यह कि शपथकर्ता का उक्त कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योग की श्रेणी के क्रम संख्या [illegible] पर अंकित है जो कि गैर प्रदूषण की सफेद श्रेणी में है।

8- यह कि उक्त शिकायत की जल्द से जल्द मौके पर जाँच की जावे और उसका निस्तारण किया जावे ताकि प्रार्थी अपना कारखाना बना किसी झूठी शिकायत के दबाव में आये आसानी से चला सके और अपना व अपने परिवार का जीवनयापन सुगमता पूर्वक कर सके ।

9- यह कि आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी के कारखाने का विद्युत कनैक्शन न काटा जावे।

शपथपत्र की पद 1 लगायत 9 तक सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है सत्यापन आज दिनांक 31-10-2022 को किया गया।

Vivek

शपथकर्ता

प्रतिलिपि-

1- श्रीमान अपर जिला अधिकारी (नगर) महोदय,
आगरा

2- श्रीमान महाप्रबन्धक महोदय,
टोरन्ट पॉवर लि0 फतेहाबाद रोड आगरा

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा

पत्रांक-1263/ओजी-27/2022

दिनांक-29/12/2022

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय– श्री राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी वार्ड नं0-4, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैंस 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध दिनांक 06.12.2022, 10.12.2022, 13.12.2022 एवं 16.12.2022 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ गृहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279 त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा रिहायशी क्षेत्र में संचालित इकाई से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में की गई शिकायत कार्यालय में दिनांक 14.08.2022 को प्राप्त है। शिकायती स्थल का निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 13.09.2022 को किया गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्रांक सं0-651/ओजी-627 /2022 दिनांक 17.09.2022 द्वारा मै0 टोरेन्ट पावर कोर्पोरेशन लि0 को विद्युत विच्छेदन किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया (छायाप्रति संलग्न)। इकाई प्रतिनिधि श्री विवेक अग्रवाल द्वारा वायु प्रदूषणकारी प्रकिया न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र दिनांक 31.10.2022, अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) के पृष्ठांकन संख्या-682/एसीएम-4 दिनांक 03.11.2022 कार्यालय में प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)। तत्क्रम में शिकायती स्थल का पुनः निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 22.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई में वायु प्रदूषणकारी स्त्रोत स्थापित नहीं पाया गया (छायाप्रति संलग्न)। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा दिनांक 06.12.2022 को इकाई में वायु प्रदूषणकारी कार्य किये जाने के सम्बन्ध में पुनः शिकायत की गयी है। उक्त के कम में शिकायती स्थल का संयुक्त निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं मै0 टोरेन्ट पावर कॉर्पोरेशन लि0 के प्रतिनिधि के साथ दिनांक 13.12.2022 को किया गया है। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री विवेक अग्रवाल एवं शिकायतकर्ता के भाई श्री जगदीश त्यागी उपस्थित थे। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में स्थापित 01 नग भट्टी (28 नं0 कोठाली) तथा हॉट वायर ड्राइंग मशीन को हटा दिया गया है। वर्तमान में इकाई में समस्त कार्य बेसमेन्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर में बाहर से कॉपर रॉड खरीद कर मात्र तार खींचने का कार्य कोल्ड प्रोसेस से किया जाता है। निरीक्षण के समय 05 नग डिफेक्टर, 01 नग रोल मशीन स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय वायु प्रदूषणकारी स्त्रोत भट्ठी (कुठाली) स्थापित नहीं पायी गयी।

अवगत कराना है कि Metal wire drawing, wiremesh conduit pipe (cold process only) प्रक्रिया को उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार सफेद श्रेणी में अध्यादित है। जिसे राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से अवमुक्त रखा गया है। इकाई आगरा विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत विद्यायी क्षेत्र वार्ड न0–4, त्यागी नगर, सेवला जाट में स्थापित है। जिसमें मै0 टोरेंट पावर लि0 द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु एल0एम0वी0–06 विद्युत कनेक्शन निर्गत है। उक्त इकाई टी0टी0जेड0 क्षेत्रान्तर्गत स्थित है।

अवगत कराना है कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3– 2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग /स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा की गई कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या–50014622000972, 73146220002115 का निस्तारण किया जा सके।

सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय,

22/12/22

(डा0 विश्वनाथ रामी)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल आगरा को आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या–50014622000972 के क्रम में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या–73146220002115 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उप जिलाधिकारी, सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजभवन, उ० प्र०
12 DEC 2022
प्राप्त

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल महोदय जी
[illegible] लखनऊ उ०प्र०

विषयः- **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराते हुए चल रही अवैध फैक्टरियों को बन्द कराये जाने के संबंध में।**

मान्यवर,

निवेदन है संलग्न प्रार्थना पत्रों के संबंध में मान्यवर को अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17-09-2022 एवं इससे पूर्व में भी संबधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लघंन के संबंध में अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा की सांठ-गांठ से संचालित अवैध फैक्टरियों को आज तक बन्द नही किया गया है और न ही दोषियों के विरूद्व मुकदमा [illegible] कारण दोषियों के हौसले बुलन्द हैं। [illegible] जारी है। विद्युत विच्छेदन भी नहीं हुआ है।

[illegible] मामले में माननीय [illegible] शीघ्र [illegible]

दिनांकः- [illegible]

संलग्नक ;- उपरोक्तानुसार।

राजेन्द्र त्यागी

(राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरन त्यागी)
निवासी-त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा
मो0-9412895153

25

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय

उ० प्र० शासन लखनऊ

D.M. आगरा
कृपया प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराते हुए चल रही अवैध फैक्टरियों को बन्द कराये जाने के संबंध में।

मान्यवर,

निवेदन है संलग्न प्रार्थना पत्रों के संबंध में मान्यवर को अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17-09-2022 एवं इससे पूर्व में भी संबधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लघंन के संबंध में अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा की सांठ-गांठ से संचालित अवैध फैक्टरियों को आज तक बन्द नहीं किया गया है और न ही दोषियों के विरूद्व मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिस कारण दोषियों के हौंसले बुलन्द हैं। आज भी यथावत कार्य जारी है। विद्युत विच्छेदन भी नहीं हुआ है।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराते हुए शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

सादर।

दिनांकः- 10/12/2022

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

प्रार्थी
राजेन्द्र त्यागी
(राजेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कालीचरन त्यागी)
निवासी-त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा
मो0-9412895153

CRCF0014028846

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० [illegible], सेक्टर [illegible], आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक– 1512 /[illegible]/2022 दिनांक– 31/[illegible]

सेवा में,

[illegible]
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

विषय– [illegible] शर्मा [illegible] नगर, [illegible] आगरा [illegible] के विरुद्ध [illegible] 2022 [illegible]।

महोदय,

[illegible]

[illegible] Metal wire drawing, [illegible] conduit pipe (cold process unit) [illegible]

[illegible]

Court No. - 29 **40**

Case :- WRIT - C No. - 40287 of 2022

Petitioner :- Rajendra Tyagi
Respondent :- State Of U P And 7 Others
Counsel for Petitioner :- Dinesh Tiwari
Counsel for Respondent :- CSC,Mukesh Kumar Singh,Sandeep Kumar Srivastava

Hon'ble Pritinker Diwaker,Acting Chief Justice
Hon'ble Saumitra Dayal Singh,J.

1. Heard Sri Virendra Singh, learned counsel for the petitioner; Sri Ashish Pathak, Adovcate, holding brief of Sri Sandeep Kumar Srivastava, learned counsel for the U.P. Pollution Control Board; Sri Mukesh Kumar Singh, learned counsel for the Agra Development Authority and learned Standing Counsel for the State-respondent.

2. Petitioner is aggrieved by the factory being operated by respondent no.8. According to the petitioner that factory has been located within a residential premise as may not be permitted by the Agra Development Authority. In any case, the factory is causing air and noise pollution which aspect has been ignored by the state pollution authorities.

3. On the other hand, learned counsel for the pollution board has placed on record written instructions received by him that suggest upon the complaint lodged by the present petitioner, the furnace has been removed. A copy of the written instructions thus received has been marked as 'X' and retained on record. It has been further disclosed, at present, wires are being manufactured through cold press method. It is in accordance with law inasmuch as the same is a 'White' category industry.

4. In view of such fact submissions advanced, at present, no interference is warranted. A copy of the written instruction received by learned counsel for the pollution board has been made over to the learned counsel for the petitioner.

5. Accordingly, the present writ petition is **disposed of** at this stage, leaving it open to the petitioner to pursue his remedy where they may lie.

Order Date :- 16.2.2023
Abhilash

(S. D. Singh, J) **(Pritinker Diwaker, ACJ)**

Digitally signed by :-
ABHILASH SINGH
High Court of Judicature at Allahabad

Item No. 05 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 179/2023

Rajendra Tyagi Applicant

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 28.04.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a complaint received by post/e-mail

ORDER

1. This original application under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered on a letter petition dated 17.09.2022 sent by Shri Rajendra Tyagi s/o Kalicharan Tyagi, Tyagi Nagar, Sevola Jat, Agra.

2. It is alleged that one Vivek Kumar is running an aluminum and copper wire unit and in the manufacturing process, it is melting metal using big furnaces and for the purpose of fuel it is using electricity, domestic gas and coal. Coal is not a permissible fuel in Taj Trapezium Area and use of coal is resulting in emission of huge smoke causing air pollution having adverse effect on the health of local residents. Several times, complaint was made to various authorities but no action has been taken in the matter.

3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled enactment under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual action taken report, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising TTZA, MoEF&CC and District Magistrate, Agra who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. TTZA shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order.

5. List for further consideration on 18.07.2023.

6. A copy of this order be forwarded to TTZA, MoEF&CC and District Magistrate, Agra by e-mail for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 28, 2023
Original Application No. 179/2023
SN

Court No. - 29

Case :- WRIT - C No. - 40287 of 2022

Petitioner :- Rajendra Tyagi
Respondent :- State Of U P And 7 Others
Counsel for Petitioner :- Dinesh Tiwari
Counsel for Respondent :- CSC,Mukesh Kumar Singh,Sandeep Kumar Srivastava

Hon'ble Pritinker Diwaker,Acting Chief Justice
Hon'ble Saumitra Dayal Singh,J.

1. Heard Sri Virendra Singh, learned counsel for the petitioner; Sri Ashish Pathak, Adovcate, holding brief of Sri Sandeep Kumar Srivastava, learned counsel for the U.P. Pollution Control Board; Sri Mukesh Kumar Singh, learned counsel for the Agra Development Authority and learned Standing Counsel for the State-respondent.

2. Petitioner is aggrieved by the factory being operated by respondent no.8. According to the petitioner that factory has been located within a residential premise as may not be permitted by the Agra Development Authority. In any case, the factory is causing air and noise pollution which aspect has been ignored by the state pollution authorities.

3. On the other hand, learned counsel for the pollution board has placed on record written instructions received by him that suggest upon the complaint lodged by the present petitioner, the furnace has been removed. A copy of the written instructions thus received has been marked as 'X' and retained on record. It has been further disclosed, at present, wires are being manufactured through cold press method. It is in accordance with law inasmuch as the same is a 'White' category industry.

4. In view of such fact submissions advanced, at present, no interference is warranted. A copy of the written instruction received by learned counsel for the pollution board has been made over to the learned counsel for the petitioner.

5. Accordingly, the present writ petition is **disposed of** at this stage, leaving it open to the petitioner to pursue his remedy where they may lie.

Order Date :- 16.2.2023
Abhilash

CNG
Jun 08, 2023, 08:08

Jun 06, 2023

SKS INTER COLLEGE
UP 80
CT 6355
Jun 08, 2023, 10:08

CNG
May 21, 2023, 10:59

Jun 06, 2023, 12:46

May 31, 2023, 09:17

May 31, 2023, 10:11

UP80

कार्रवाई से पहले ही फैक्टरियों से सामान की ढुलाई शुरू

सेवला जाट रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से प्रदूषणकारी फैक्टरियों के संचालन का मामला

आगरा। सेवला जाट रिहायशी क्षेत्र में एक दर्जन अवैध फैक्टरियां संचालित होती रहीं। दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया। शिकायत पर एक साल तक कार्रवाई नहीं हो सकी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मामले का संज्ञान लिया। डीएम को कमेटी बनाने के आदेश दिए, तो कार्रवाई से पहले फैक्टरियां खाली होने लगीं। इनके सामान की ढुलाई शुरू हो गई है।

ग्वालियर रोड, सेवला जाट निवासी राजेंद्र त्यागी ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी विश्वनाथ शर्मा पर कॉपर वायर, चमड़ा व क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहीं अन्य फैक्टरियों से सांठगांठ के आरोप लगाए। एडीए व प्रशासन में शिकायत कीं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पीड़ित ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की। प्रदूषण बोर्ड ने हलफनामा लगाते हुए कहा फैक्टरियां वाइट कैटेगरी में आती हैं। जिनका संचालन अनुमन्य है। फिर पीड़ित ने एनजीटी में शिकायत की। एनजीटी ने डीएम नवनीत सिंह चहल को कमेटी बनाने के आदेश दिए।

याचिकाकर्ता राजेंद्र त्यागी का कहना है कि टीम जब जांच को जाएगी तब तक फैक्टरियां खाली हो जाएगी। टीम लौटने के बाद फिर काम शुरू हो जाता है। पूरा खेल अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। वहीं, क्षेत्रीय अधिकारी यूपीपीसीबी विश्वनाथ शर्मा का कहना है कि तीन बार जांच कर चुके हैं। वहां कुछ नहीं मिला। याचिकाकर्ता का कहना है कि 15 से अधिक प्रदूषणकारी फैक्टरियां क्षेत्र में संचालित हैं। ब्यूरो

फैक्ट्री से समेटा सामान, हटा दिया बोर्ड

जागरण संवाददाता, आगराः राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा सेवला जाट में रिहायशी क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री में तार जलाने से हो रहे प्रदूषण पर रिपोर्ट मांगे जाने का असर हुआ है। फैक्ट्री संचालक ने सामान को समेटना शुरू कर दिया है। फैक्ट्री पर लगी प्लेट को भी हटा दिया गया है। इस पर फैक्ट्री संचालक का नाम व पता लिखा हुआ था।

सेवला जाट निवासी राजेंद्र त्यागी की शिकायत पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वाद दायर किया है। 28 अप्रैल को सुनवाई करते हुए एनजीटी ने जांच के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन अथारिटी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और डीएम की संयुक्त समिति जांच को गठित की थी।

दो माह में समिति से रिपोर्ट मांगी गई है। 19 मई को एनजीटी ने ईमेल भी किया था। इसके बाद समिति में अधिकारियों को नामित किया गया है। इसके बाद सेवला जाट में फैक्ट्रियां संचालित कर रहे लोगों में अफरातफरी मच गई है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर

- ❑ ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में क्षेत्रीय अधिकारी ,उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शह पर
- ❑ अवैध रूप से सैकड़ों फैक्ट्रिया हो रही संचालित प्रशासन, जन प्रतिनिधि जनता की जान जोखिम में होने पर भी मौन
- ❑ क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अवैध कारनामों की विभागीय जांच व आयकर विभाग से सपत्ति की भी जांच भी जरूरी
- ❑ जनता फैक्ट्रीयो के बढते प्रदूषण से भयभीत, सरकार से ठोस कार्रवाई की आस
- ❑ सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन

मुकेश कुमार गुप्ता

आगरा (लोक किरण)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ताज ट्रिपेजियम (टीटीजैड) क्षेत्र में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा की साठगांठ से संचालित अवैध फैक्ट्रीयो को तत्काल पूर्ण रूप से बंद कराए जाने एवं दोषियों अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की चेयरमैन, सचिव,मुख्य पर्यावरण अधिकारी/सतर्कता अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,लखनऊ से गुहार लगाने का मामला प्रकाश में आया है । मामले के अनुसार राजेन्द्र त्यागी पुत्र कालीचरण त्यागी निवासी सेवला जाट आगरा का रहने वाला है उनका आरोप है कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर विवेक कुमार द्वारा अपनी फैक्ट्री में (रिहायशी क्षेत्र) मे बिजली के केबिल तार ,एल्युमिनियम एवं कापर को जलाकर एवं गलाकर चैन बनाई जाती है और फिर उसे सप्लाई किए जाने का कार्य होता है और यह काम रात दिन बेखौफ़ जारी रहता है। बिजली के केबिल तार गलाने में घरेलू सिलेंडरों का भी भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है । धुआं, गंध एवं कैमिकल के उपयोग से जनता को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है लोगों को प्रदूषण के कारण जन स्वास्थय और जान जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पहले भी एक बार इस मामले को लेकर क्षेत्रीय अधिकारी विश्वनाथ विश्वकर्मा और विवेक ने पुलिस पर दबाव डलवाकर मामले को रफा-दफा करा दिया था इस कारण इनके हौसले बुलंद हैं । श्री त्यागी जब अपने द्वारा की गई शिकायत के संबंध मे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय आगरा गए ।

www.jagran.com

फैक्ट्री में जला रहे थे तार एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, आगरा: सेवला जाट में फैक्ट्री में तार जलाए जाने की शिकायत का राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने संज्ञान लिया है। एनजीटी ने जांच को ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) अथारिटी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और डीएम की संयुक्त समिति गठित की है। समिति को दो माह में जांच रिपोर्ट एनजीटी को उपलब्ध करानी होगी। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

राजेंद्र त्यागी ने 17 सितंबर, 2022 को एनजीटी के चेयरमैन को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि उनके घर के सामने आवासीय क्षेत्र में विवेक कुमार द्वारा फैक्ट्री संचालित की जा रही है। फैक्ट्री में बिजली के एल्युमीनियम व कापर के तारों को जलाकर और गलाकर तार व चेन बनाए जाते हैं और उनकी आपूर्ति की जाती है। बड़ी-बड़ी भट्ठियों में तारों को गलाने के लिए बिजली, गैस और कोयले का प्रयोग किया जाता है।

टीटीजेड में कोयला प्रतिबंधित है। इससे वायु प्रदूषण होता है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। संबंधित विभागों द्वारा शिकायत किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 28 अप्रैल को न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डा. ए. सेंथिल वेल ने शिकायत का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। शिकायत को पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हुए एनजीटी ने वास्तविक स्थिति जानने को टीटीजेड, एमओईएफसीसी और डीएम की संयुक्त समिति बनाने का आदेश किया। समिति को निरीक्षण कर और तथ्यों की जांच कर दो माह में एनजीटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी।

- सेवला जाट निवासी राजेंद्र त्यागी ने की थी शिकायत, एनजीटी ने लिया स्वतः संज्ञान
- जांच को टीटीजेड, एमओईएफसीसी और डीएम की संयुक्त समिति गठित करने का आदेश

उच्च न्यायालय ने निरतारित कर दी थी याचिका

राजेंद्र त्यागी ने इस मामले मे उच्च न्यायालय मे भी जनहित याचिका दायर की थी। 16 फरवरी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की थी। इसमे उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीपीसीबी की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था कि फैक्ट्री मे कोल्ड प्रेस मैथड से तार बनाए जा रहे है। उच्च न्यायालय ने याचिका को निस्तारित कर दिया था।

एनजीटी ने आदेश के अनुपालन को टीटीजेड अथारिटी को नोडल एजेंसी बनाया है।

शिकायतकर्ता राजेंद्र त्यागी को एनजीटी के आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। 19 मई को एनजीटी द्वारा आदेश के संबंध में टीटीजेड को ईमेल किया गया था। स्थानीय स्तर पर समिति में डीएम के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम सिटी और टीटीजेड से मुख्य नगर नियोजक को नामित किय गय है।